वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
भैराराम		सायरी वगैरह

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी0पी0सी0

उपस्थिति :-

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री रूगाराम चौधरी

प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री रघुवीरसिह राठौड़

-:: निर्णय ::-

दिनांकः- 9/3/22

प्रतिवादीगण की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम बिरसालू खुर्द के खसरा सख्या 49 , 76/1 की भूमि बाबत वादपत्र व स्थगन प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा में पेश कर स्थगन आदेश ले रखा है। उक्त अनवान के वाद की, प्रतिवादीगण संख्या 01 सायरी पत्नी श्री रामूराम की एकमात्र विधिक वारिस विवाहिता पत्नी थी जो कि एक गरीब व अनपढ विधवा ग्रामीण महिला है जिसकी भूमि हडपने की नियत से भैराराम ने राजस्व कर्मचारियो से मिलीभगत कर अपने भाई रामूराम को अविवाहित फौत बताकर उपरोक्त वर्णित खसरान की भूमि का नामान्तरकरण सख्या 113 को अपने नाम से स्वीकृत करवाकर जमाबन्दी में अपना नाम दर्ज करवाया। श्रीमति सायरी को इसकी जानकारी होने पर उसने एक राजस्व अपील संख्या 12/2007 माननीय अपर जिला कलेक्टर जोधपुर द्वितीय की अदालत में पेश की जो अपील दिनांक 24.03.2008 को प्रार्थीया सायरी के पक्ष में निर्णित हुई। जिस पर तहसीलदार ओसियां द्वारा विस्तृत जांच कर अपने निर्णय के जरिये प्रकरण में प्रतिवादी सख्या 01 सायरी के पक्ष में नामान्तरकरण

सहायक कलेक्टर, ओसिया

Scanned with CamScanner

सख्या 216 स्वीकृत कर राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में 1/2 हिस्सा के खातेदार रूप में श्रीमति सायरी का नाम दर्ज किया गया जिस पर वादी द्वारा नामान्तरकरण सख्या 216 के आदेश की अपील संभागीय आयुक्त जोधपुर की अदालत में पेश की जिस पर बाद सुनवाई भैराराम की अपील खारिज कर तहसीलदार ओसियां के निर्णय को यथावत रखा गया। इस प्रकार से उक्त अपील में सफलता नहीं मिलने पर वादी भैराराम ने एक वादपत्र मय स्थगन प्रार्थना पत्र अपनी बहनो की तरफ से इसी न्यायालय में पेश किया गया जो वादपत्र 03.06.2009 को इसी न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया। उक्त वाद में वादी को बावजूद समुचित अवसर के भी भैराराम के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही को अपास्त नहीं करवाया गया तथा न ही किसी काउन्टर कलेम की ही कार्यवाही गई उक्त वाद संख्या 56/2009 की प्रति प्रतिवादीगण की ओर से पेश की गई इस प्रकार से प्रतिवादीगण द्वारा बताया कि वादी के द्वारा प्रस्तुत वादपत्र Barred by Law है जिसे नामंजूर किया जावे।

उक्त प्रार्थना पत्र पेश होने के पश्चात वादी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसमें वादी के द्वारा बताया गया कि प्रतिवादीगण सख्या 01 सायरी रामूराम की पत्नी नही है रामूराम अविवाहित ही फौत हो गया था सायरी के द्वारा कभी भी रामूराम के साथ विवाह नही किया गया था राजस्व कर्मचारियो से मिलीभगत करना नही बताया व सायरी को मोहरा बनाकर कार्यवाही करवाना बताया तथा बताया कि म्यूटेशन की कार्यवाही में हक हिस्सा अधिकारो का निस्तारण किया जा सकता है तहसीलदार ओसियो के द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.03.2009 एवम् अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर के आदेश दिनांक 07.10.2011 की अपील वादी ने माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष पेश की हैं जो विचाराधीन हैं तथा तहसीलदार व अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त के निर्णय अन्तिम निर्णय नहीं हुए है। इसके अलावा समरी कार्यवाही के निर्णय नियमित वाद में बाध्यकारी नहीं होते है प्रतिवादीगण के द्वारा प्रकरण को लम्बा करने के लिए उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है प्रतिवादीगण ने जो प्रार्थना पत्र में उज्र उठाए है वे जवाब दावा में उठा सकता है एवम साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने के बाद प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर निर्णय किया जा सकता है। अन्त में प्रार्थना पत्र खारिज करने की ईस्तदुआ चाही गई।

उक्त जबाब पेश होने के पश्चात बहस उभय पक्षकारान सुनी गई पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि तहसील ओसियां के राजस्व ग्राम बरसालू खुर्द के खसरा संख्या 49 व 76/1 की भूमि के खातेदार रामूराम को अविवाहित फौत होना बताते हुए अपने आप को वादग्रस्त भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित करने की ईस्तदुआ चाही है। जिसके सम्बध में अपील माननीय अपर जिला कलेक्टर जोधपुर, न्यायालय तहसीलदार ओसियां के द्वारा विवेचन किया जाकर निर्णय दिया जा चुका है। इस प्रकार से उक्त वादग्रस्त भूमि में

सहायक कलेक्टर, ओसियां

Scanned with CamScanner

भूमि विवादको बाबत पूर्व में विवेचन किया जाने से उक्त वादपत्र सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 रेसजुडीकेटा से बाधित होना स्पष्टतया प्रमाणित है। जिसके सम्बध में आदेश 07 नियम 11 (घ) प्रथम दृष्टया लागू होता हैं। लिहाजा वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र विधि द्वारा बाधित होने से काबिल ए निरस्त के है।

आदेश

अतः प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी०पी०सी० का स्वीकार किया जाता हैं तथा वादी की ओर से प्रस्तुत वादपत्र विधि द्वारा बाधित होने से खारिज किया जाता हैं पत्रावली में अन्य कोई कार्यवाही शेष नही है।

(रतनलाल रैगर)
आर.ए.एस.
सहायक कलेक्टर ओसियां

आदेश आज दिनांक 9/3/22 को हस्ताक्षरित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रतनलाल रैगर)
आर.ए.एस.
सहायक कलेक्टर ओसियां

Scanned with CamScanner